राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट जयपुर दिनांक 07-06-2022

:: आदेश ::

दी राजस्थाल लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु **श्री पुरूषोत्तम शर्मा, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक आर/1587/2010)** को एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, जयपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि रूपये 33,330/– प्रतिमाह पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता हैः–

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
3. वे महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, **जयपुर** के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे।
4. यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार ही शासित होगी।
5. वे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाएँ व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।
6. उक्त एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल को अन्य एलाउन्स/चार्जेज/सुविधाएँ वही देय होगी, जो वर्तमान में एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल को दी जा रही है।

ह0

(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
5. विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
6. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
7. राजकीय अधिवक्तागण/गवर्नमेंट काउन्सिल/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
17. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।।
18. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
19. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
20. रक्षित पत्रावली।

07/6/22

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव,विधि